रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032023-244710
CG-DL-E-27032023-244710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2023/चैत्र 6, 1945
No. 184] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2023/CHAITRA 6, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

सा.का.नि. 226(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 112(अ), तारीख 17 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 फरवरी, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में, उप-नियम (18) में, -

(क) सारणी 2 के अधीन दिए गए टिप्पण में खंड (i) में, पैरा (19) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(19) (क) 1अप्रैल, 2020 से सीओपी लागू होने और टाइप अनुमोदन के दौरान आंकड़े एकत्रित करने के लिए पीईएमएस का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड ड्राइविंग साइकल उत्सर्जन का माप लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन श्रेणी के यानों, जिनका सकल यान भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, के सभी मॉडलों के लिए पीईएमएस का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड ड्राइविंग साइकल उत्सर्जन माप के दौरान अनुरूपता कारक एआईएस 137 में अधिकथित और समय समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार लागू होगा ।

(ख) टाइप अनुमोदन के दौरान, अनुरूपता कारक (सीएफ), नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा:-

सारणी: अनुरूपता कारक (सीएफ)

प्रदूषक	**सीएफ$_{प्रदूषक}$**
एनओ$_{एक्स}$	1 + मार्जिन [3]एनओ$_{एक्स}$ मार्जिन के साथ एनओ$_{एक्स}$ = 0.43
पीएन [1]	1 + मार्जिन [3] पीएन मार्जिन के साथ पीएन = 0.5
सीओ [2]	-

[1] के लिए लागू: केवल पॉजिटिव इग्निशन (डाइरेक्ट इंजेक्शन) इंजन और संपीड़न इग्निशन इंजन

[2] सीओ उत्सर्जन को आरडीई परीक्षणों में मापा और दर्ज किया जाएगा।

[3] पीईएमएस उपकरण द्वारा प्रस्तुत की गई अतिरिक्त माप अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मार्जिन एक मानदंड है।

(ख) सारणी 2 के अधीन दिए गए टिप्पणों में, खंड (ii) में, पैरा 12 में,, -

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) 1अप्रैल, 2020 से सीओपी लागू होने और टाइप अनुमोदन के दौरान आंकड़े एकत्रित करने के लिए पीईएमएस का प्रयोग करते हुए यानों के उत्सर्जन का माप सड़क पर लिया जाएगा और 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन श्रेणी के यानों, जिनका सकल यान भार 3500 किलोग्राम से अधिक है, के सभी मॉडलों के लिए पीईएमएस का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड ड्राइविंग साइकल उत्सर्जन माप के दौरान, इन-सर्विस अनुरूपता कारक एआईएस 137 में अधिकथित और समय समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार लागू होगा ।" ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"इन-सर्विस पीईएमएस उत्सर्जन परीक्षण के लिए अधिकतम अनुमत अनुरूपता कारक (सीएफ), नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे: -

सारणी : इन-सर्विस अनुरूपता उत्सर्जन परीक्षण के लिए अधिकतम अनुज्ञात अनुरूपता कारक (सीएफ)

मानदंड	**अधिकतम अनुमत अनुरूपता कारक (सीएफ)**
सीओ	1.5
टीएचसी[1]	1.5
एनएमएचसी[2]	1.5
सीएच$_4$ [2]	1.5
एनओ$_{एक्स}$	1.5

(1) संपीड़न इग्निशन इंजन के लिए

(2) पॉजिटिव इग्निशन इंजन के लिए”

[सं. आरटी-11036/78/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ओर अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 29(अ), तारीख 16 जनवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2023

G.S.R. 226(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 112(E), dated the 17th February, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20th February, 2023;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115, in sub-rule (18),—

(a) in clause (i), in the Notes given under Table 2, for paragraph (19), the following shall be substituted, namely:-

“(19) (a) During type approval and COP applicable from 1st April, 2020, real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection and for vehicles of category M and N having gross vehicle weight not exceeding 3500 kgs, manufactured on or after 1st April, 2023, for all models, during real world driving cycle emission measurement using PEMS, Conformity factor shall be applicable as per the procedure laid down in AIS 137 and as amended from time to time.

(b) During the type approval, the Conformity factor (CF), shall be as per the Table below:-

Table: Conformity Factor (CF)

Pollutant	**$CF_{pollutant}$**
NOx	1 + margin (3) NOx With margin NOx = 0.43
PN (1)	1 + margin (3) PN With margin PN = 0.5
CO (2)	-

(1) Applicable for: Positive Ignition (Direct Injection) engines and Compression Ignition Engines only

(2) CO emissions shall be measured and recorded at RDE tests.

(3)Margin is a parameter taking into account considering the additional measurement uncertainties introduced by the PEMS equipment.";

(b) in clause (ii), in the Notes given under Table 2, in paragraph (12),-

(i) for clause(a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) During type approval and COP applicable from 1st April, 2020, emission measurement on vehicles using PEMS shall be carried out on road for data collection and for category M and N vehicles having gross vehicle weight exceeding 3500 kgs, manufactured on or after 1st April, 2023, for all models, during real world driving cycle emission measurement using PEMS, in-service Conformity factor shall be applicable as per the procedure laid down in AIS 137 and as amended from time to time.";

(ii) after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that the Maximum Allowed Conformity factors (CF) for in-service PEMS Emission Testing, shall be as per the Table below:-

Table : Maximum Allowed Conformity Factors (CF) for

in-service Conformity Emission Testing

Parameter	**Maximum Allowed Conformity Factor (CF)**
CO	1.5
THC (1)	1.5
NMHC (2)	1.5
CH_4 (2)	1.5
NOx	1.5

(1) For Compression Ignition Engines

(2) For Positive Ignition engines.".

[No. RT-11036/78/2016-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 29(E), dated the 16th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA